न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 213 / 2020 प्रार्थनापत्र

1. पूरण सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र दौलत सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
3. भंवर सिंह पुत्र श्री डाऊ सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
4. पूनम सिंह पुत्र श्री डाऊ सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
5. लालसिंह पुत्र श्री दुद सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
6. भैरू सिंह पुत्र श्री दुद सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
7. सुल्तान सिंह पुत्र श्री दुद सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
8. रणजीत सिंह पुत्र श्री दुद सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
9. मीठू सिंह पुत्र श्री दूद सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
10. मदन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
11. श्रीमती कमला पत्नी श्री दौलत सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– प्रार्थीगण

बनाम

1. रोशन लाल पुत्र श्री भवंर लाल रावत आयु वयस्क निवासी– ईशरो का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. हुक्म सिंह पुत्र श्री बन्ना सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
3. रासा सिंह पुत्र श्री बन्ना सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
4. गणपत सिंह पुत्र श्री बन्ना सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
5. जगदीश सिंह पुत्र श्री बन्ना सिंह नाबालिग जरिये वादमित्र भाई गणपत सिंह पुत्र श्री बन्ना सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
6. माल सिंह पुत्र श्री तेज सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला जिला राजसमन्द (राज0)
7. चुन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला जिला राजसमन्द (राज0)
8. श्रीमती झुम्मी देवी पत्नी श्री तेज सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला जिला राजसमन्द (राज0)
9. जीवण सिंह पुत्र श्री तेज सिंह श्री तेज सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला जिला राजसमन्द (राज0)
10. श्रीमती पुरी देवी पत्नी श्री दौलत सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– कुण्डाल की गुवार तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
11. श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी श्री [illegible] सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– कुण्डाल की गुवार तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:27:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

12. सुजा पुत्र श्री गेना रावत आयु वयस्क निवासी– कुण्डाल की गुवार तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
13. हेमन्त पुत्र श्री मिश्री लाल मेवाड़ा आयु वयस्क निवासी– देवनारायण कॉलोनी, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
14. ईश्वर सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम
15. शंकर सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम
16. कल्याण सिंह पुत्र श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम
17. जोरावर सिंह पुत्र श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम
18. भगवान सिंह पुत्र श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम
19. इन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम
20. त्रिलोक सिंह पुत्र श्री किशन सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम
21. अमर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
22. कालू सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
23. प्रताप सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
24. हुक्म सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
25. सोनिया पुत्री श्री दौलत सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
26. सुशीला पुत्री श्री दौलत सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
27. रूपी पुत्री श्री उाऊ सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
28. शांता पुत्री श्री उाऊ सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
29. नेना पुत्री श्री उाऊ सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
30. मिक्षु पुत्री श्री उाऊ सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया
31. श्रीमती मगदु बेवा उाऊ सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– आठोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
32. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

————— विपक्षीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता प्रार्थीगण

:: निर्णय ::

दिनांक– 20.07.2021

प्रार्थीगण के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद आठोलिया पटवार हल्का शिवपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 62 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 63 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3384/62 रकबा [illegible] /62 रकबा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3391/63 रकबा 11 बिस्वा [illegible] काश्तकार होने का कथन करते हुए उक्त आराजीयात [illegible] आने वाले रोड़ से होकर ग्राम गोमा का बाडिया मु[illegible]ड़ आराजी नम्बर 502 से होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:27:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

विपक्षी संख्या 01 लगायत 21 की सरहद गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 557, 558, 556, 551,544, 4036/543 की उत्तरी पश्चिमी मेड़ से मे आते जाते है, प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता उपरोक्त रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार विपक्षी संख्या 01 लगायत 21 की सरहद गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 557, 558, 556, 551,544, 4036/543 की उत्तरी पश्चिमी मेड़ से 15 फीट चौडाई का रास्ता कायम करने की स्वीकृति प्रदान कर राजस्व नक्शे मे दर्ज करने की आज्ञा फरमावे।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर विपक्षीगण को सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जारी किये व विपक्षीगण की तामिल जरिये सम्मन रजिस्टर्ड एडी एवं अखबार प्रकाशन के करवायी गयी। विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षीगण उपस्थित नही हुए व प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका
रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के नाम पर सरहद आठोलिया पटवार हल्का शिवपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 62 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 63 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3384/62 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 3386/62 रकबा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3391/63 रकबा 11 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 557, 558, 556, 551,544, 4036/543 विपक्षी संख्या 01 लगायत 21 के नाम दर्ज रेकार्ड है , मौके पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। प्रार्थीगण के अनुसार वह इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता विपक्षी संख्या 01 लगायत 21 आराजी नम्बर 558, 556, 551, 544 व 4036/543 में से 15 फीट (दो गटा) चौडा यानि 0–13 बिस्वा भूमि आती है, रास्ते मे ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट 63100/– से दुगुनी राशि 82030/– जो विपक्षीगण को देय है, प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:27:15 IST
Reason: SelfAttested

मैने प्रार्थीगण के अधिवक[illegible] उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थीगण ग्राम [illegible] पटवार हल्का शिवपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलव[illegible] मे आराजी नम्बर 62 रकबा 02

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 63 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3384/62 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 3386/62 रकबा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3391/63 रकबा 11 बिस्वा मे जाने के लिए विपक्षी संख्या 01 लगायत 21 की आराजी नम्बर 558, 556, 551,544, 4036/543 की उत्तरी पश्चिमी मेड मे 15 फीट अर्थात दो गटा चौडा कुल 13 बिस्वा को रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी संख्या 01 लगायत 21 की आराजी नम्बर 558, 556, 551 ,544, 4036/543 की उत्तरी पश्चिमी मेड मे 15 फीट अर्थात दो गटा चौडा कुल 13 बिस्वा भूमि का रास्ता प्रार्थीगण की आराजियात पर कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे भी रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 13 बिस्वा भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य 82030 /—प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षीगण को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे।

यह आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:27:15 IST
Reason: SelfAttested